रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253352
SG-DL-E-26032024-253352

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2024/चैत्र 2, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 502
No. 104]	DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2024/CHAITRA 2, 1946	[N. C. T. D. No. 502

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मार्च, 2024

फा. सं. 21(186)/प्रशि. प्रशा./भर्ती नियम(स्टोरकीपर)/2023/350.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 2 जनवरी, 2014 की अधिसूचना फा. सं. 36(26)/प्रशि. प्रशा./2008 द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन प्रशिक्षण विंग में **स्टोरकीपर** के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम का निर्माण करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को **स्टोरकीपर** भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4)में यथाविनिर्दिष्टहोंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :–इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**क्या चयन पद या गैर चयन पद है**	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**
स्टोरकीपर	13* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500–81100/– रुपये)	गैर–चयन	लागू नहीं

7	8	9	10	11
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए श शैक्षिक तथा अन्य योग्यता ।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति** : ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 में विभाग के अधीन प्रशिक्षण विंग के सहायक स्टोर कीपर/स्टोर परिचारक। **प्रतिनियुक्ति** :– (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; तथा (ख) शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले निम्नानुसार है :– **अनिवार्य** :– (अ)(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल

				इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में तीन वर्षों का डिप्लोमा; तथा (ii) स्टोर बही खाता के अनुरक्षण तथा इंजीनियरिंग यंत्र, उपकरण एवं मशीनरी को संभालने के ज्ञान सहित इंजीनियरिंग उपक्रम / इंजीनियरिंग संस्थान / इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय / उद्योग में स्टोर की देखरेख करने का एक वर्ष का अनुभव। अथवा (अ)(i) मान्यता प्राप्त विद्यालय / बोर्ड से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) इंजीनियरिंग ट्रेड में दो वर्षों की अवधि का राष्ट्रीय / राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र (एनटीसी / एसटीसी) / राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र(एनएसी) ; तथा (iii) स्टोर बही खाता के अनुरक्षण तथा इंजीनियरिंग यंत्र, उपकरण एवं मशीनरी को संभालने के ज्ञान सहित इंजीनियरिंग उपक्रम / इंजीनियरिंग संस्थान / इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय / उद्योग में स्टोर की देखरेख करने का दो वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

12	13
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**
समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ): 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा), रा.रा.क्षे.दि.स. –**अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –**सदस्य** 3. उप–सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स. –**सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

टीप :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो पदोन्नति के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एलिस वाज, सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd March, 20242024

F. No. 21(186)/Trg. Admn./RR (Storekeeper)/2023/350 .—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959 and in supersession of Notification of this Government published vide notification F.No.36(26)/Trg. Admn./2008 dated 2nd January 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Storekeeper in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Storekeeper Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person,

(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:- Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so , it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of the Post	**Number of Posts**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection post or non selection post**	**Age limits for Direct Recruits**
Storekeeper	13* (2024) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-).	Non-Selection	Not Applicable

7	8	9	10
Educational and other qualification for direct recruits	**Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation**	**Method of recruitment whether by direct recruitment/ promotion/ deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion, failing which by deputation.

11	12	13
In case of recruitment By promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation / absorption to be made	**If DPC exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment**
Promotion: Assistant Storekeeper/ Store Attendant of Training Wing under the Department in Level-2 in the Pay Matrix with 8 years' of regular service in the grade. **Deputation:** **A.** holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre / Department; And **B.** possessing educational qualifications and experience as under: **Essential:-** (a) (i) Three years Diploma in Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Civil Engineering/ Electronics & Communication Engineering from recognized Board/ University/ Institution and (ii) One year experience in store keeping in Engineering Undertaking/ Engineering institution/ Engineering University/ Industry with knowledge of Maintenance of Store ledger and to handle the engineering tools, equipments and machineries. **Or** (a) (i) 10th pass with Science and Maths under 10+2 system from recognized school/Board; (ii) National/State Trade Certificate	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion): 1. Principal Secretary/ Secretary (Power) GNCT Delhi – **Chairman** 2. Head of the Department concerned– **Member** 3. Dy. Secretary (Finance) GNCT of Delhi– **Member.** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering promotion shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Consultation with UPSC is not necessary

(NTC/STC)/National Apprenticeship Certificate (NAC) in Engineering Trades of two years duration and (iii) Two years experience in store keeping in Engineering Undertaking/ Engineering institution/ Engineering University/ Industry with knowledge of Maintenance of Store ledger and to handle the engineering tools, equipments and machineries. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
R. ALICE VAZ, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.26 18:56:09 +05'30'